सहारा वात्सल्य - जीवन बीमा

UIN-127N025V01

(बंदोबस्ती बीमा लाभ सहित)

सहारा इण्डिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साधारण पूंजी से शुरुआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल साम्राज्य फैला रखा है। आज परिवार एक बहु आयामी व्यावसायिक संस्था बन कर वित्तीय सेवाएं इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, कन्ज़्यूमर मर्चेन्डाइज़ रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग एवं सूचना प्राधौगिकी में कार्यरत हैं।

कंपनी-

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा ''सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड'' निजी क्षेत्र में प्रथम पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में समाज के शहरी वर्ग ही नहीं अपितु मध्यम तथा ग्रामीण क्षेत्रीय वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना-

'सहारा वात्सल्य जीवन बीमा' एक लाभ सहित बंदोबस्ती योजना, जिसमें पूर्णावधि तक जोखिम वहन तथा शिक्षा लाभ, जो 4 किश्तो में बीमाधन का @ 20%, 25%, 25% तथा 30% पॉलिसी अवधि के अंतिम अनुगमन 4 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के अंत में नामित बच्चें के शिक्षा व्यय, जिससे बच्चें का भविष्य सुरक्षित हो सके, देय है। योजना पॉलिसी अवधि में बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। बीमार्थी (पिता/माता) के मृत्यु पर बीमाधन तथा निहित बोनस एक मुश्त तथा अतिरिक्त वार्षिक ''परिवार आय लाभ'' बीमित धन का 10% बीमार्थी की मृत्यु के पश्चात् पॉलिसी की वर्षगांठ से प्रारम्भ होकर, शिक्षा लाभ के प्रारम्भ होने तक देय है तत्पश्चात् चार वार्षिक शिक्षा लाभ किश्त बीमा धन का दर 20%, 25%, 25% तथा 30% पॉलिसी अवधि के अंतिम अनुगमन 4 वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष के अंत में देय है। नामित (लड़का/लड़की) की अवयस्कता में मृत्यु लाभ नियुक्ति (एप्वांइटी) को देय है। यह एक लाभ सहित योजना है तथा कंपनी के प्रांसगिक कोष से अनुभव के आधार पर, साधारण रिवरसनरी बोनस प्रति वर्ष घोषित किया जायगा। यह योजना उन निवेश कर्त्ता के लिये उपयुक्त है, जो सुरक्षा, लाभ वापसी , आयकर लाभ तथा गारन्टीड रकम प्राप्ति नियमित अंतराल पर बच्चे की शिक्षा व्यय आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहते हैं।

योजना विवरण-

बीमित व्यक्ति (पिता/माता) की प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	20 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
अधिकतम प्रवेश के समय (पिता/माता) की आयु	50 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
प्रवेश के समय न्यूनतम बच्चे की आयु	0 वर्ष की आयु
प्रवेश के समय अधिकतम बच्चे की आयु	12 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
न्यूनतम बीमाधन	रू0 1,00,000
अधिकतम बीमाधन	असीमित बीमाकंन-नुसार
योजना के अंतर्गत पॉलिसी अवधि	प्रवेश के समय बच्चे की उम्र को 22 वर्ष से घटाने के बाद शेष वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलिसी की अवधि अनुरूप
अधिकतम जोखिम वहन आयु (पिता/माता)	70 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)

प्रीमियम भुगतान विधि उपलब्धता क्या है ?

वार्षिक, अर्ध वार्षिक, तिमाही तथा मासिक (मात्र प्रत्यक्ष डेबिट अथवा समूह विलिंग)

प्रीमियम भुगतान विधि में क्या छूट है ?

वार्षिक विधि	तालिका प्रीमियम पर 3%
अर्धवार्षिक विधि	तालिका प्रीमियम पर 1.5%
तिमाही विधि	कुछ नहीं
मासिक विधि (मात्र प्रत्यक्ष डेबिट अथवा समूह विलिंग)	कुछ नहीं

उच्च बीमाधन के लिये क्या छूट उपलब्ध हैं?

तालिका प्रीमियम दर में कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

कालातीत (Lapse) न होने के लिये अनुग्रह दिवस (Grace Period) प्रावधान

वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा तिमाही भुगतान विधि के लिये न्यूनतम 30 अनुग्रह दिन (चाहे वर्ष का कोई भी माह हो) एवं मासिक भुगतान विधि के लिये 15 दिन का प्रावधान है यदि अनुग्रह दिवस अवधि में, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है तथा उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तब भी पॉलिसी प्रमाणिक है तो बीमाधन से अदत्त प्रीमियम, जो आगामी पॉलिसी वर्षगांठ तक देय है, काट कर दावेदार को भुगतान किया जायेगा।

प्रीमियम न भुगतान करने की अवस्था में क्या होता है ?

यदि पॉलिसी में कम से कम 3 वर्ष प्रीमियम का भुगतान हो चुका है। तो पॉलिसी चुकता मूल्य (Paid up value) अर्जित कर लेती है तथा पॉलिसी अवधि के अंत में चुकता मूल्य का भुगतान किया जाता है। चुकता मूल्य की गणना, बीमाधन कुल देय प्रीमियम एवं भुगतान की गई प्रीमियमों के अनुपात तथा निहित बोनस यदि कोई है पॉलिसी में जोड़कर तथा निश्चित शिक्षा लाभ, यदि कोई है, पूर्व में भुगतान हो चुका है, घटा दिया जाता है। निहित बोनस पॉलिसी में रहता है लेकिन भविष्य के मूल्यांकन में पॉलिसी भाग नहीं लेती है।

कालातीत (Lapse) पॉलिसी के पुनर्चलन का क्या प्रावधान है ?

यदि प्रीमियम अनुग्रह दिवस अवधि में जमा नहीं हुए पॉलिसी कालातीत (Lapse) हो जाती है। कालातीत पॉलिसी का कालातीत तिथि से 5 वर्ष की अवधि अथवा पूर्णाविधि तिथि से पूर्व समस्त अदत्त प्रीमियम ब्याज सहित, जिसकी दर समय-समय पर कंपनी द्वारा निश्चित की जायगी, जमा कर साथ में कंपनी की संतुष्टि हेतु निरंतर बीमित रहने का प्रमाण पत्र प्रदान कर, पुनर्चालित की जा सकती है।

क्या पॉलिसी अभ्यर्पित की जा सकती है ?

यदि पॉलिसी में कम से कम 3 वर्ष का प्रीमियम भुगतान किया जा चुका है तथा 3 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो विशेष अभ्यर्पण मूल्य एवं गारन्टीड अभ्यर्पण मूल्य, जो भी अधिक होगा, तीसरी पॉलिसी वर्षगांठ के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

- गारन्टीड अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई प्रीमियमों का 30 प्रतिशत (प्रथम वर्ष की प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम को छोड़ कर) के तुल्य है तथा भुगतान हुये, निश्चित शिक्षा लाभ घटाकर साथ ही निहित बोनस का नकद मूल्य भी भुगतान के लिये देय है।
- विशेष अभ्यर्पण मूल्य, चुकता मूल्य बीमाधन में से भुगतान की गई निश्चित शिक्षा लाभ घटाकर एवं निहित बोनस के साथ,दोनों का 70 प्रतिशत तक तुल्य है।

क्या ऋण उपलब्ध है ?

इस पॉलिसी में ऋण उपलब्ध नहीं है।

यदि पॉलिसी चालू है तो पॉलिसी के क्या लाभ हैं ?

पूर्णाविधि पर - यदि पॉलिसी पूर्ण बीमाधन के लिये चालू है तो निहित बोनस पूर्णावधि पर देय है तथा "शिक्षा लाभ" की 4 वार्षिक किश्त जो बीमाधन का 20%, 25%, 25% तथा 30% क्रमशः पॉलिसी के प्रत्येक 4 अंतिम वर्षगांठ के अंत में देय है।

दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर - यदि पॉलिसी पूर्ण बीमाधन के लिये चालू है निम्न हित लाभ बीमार्थी (माता/पिता) की मृत्यु पर नामित को देय है। यदि नामित अवयस्क है तो एप्वांइटी को देय है।

1. बीमाधन तथा समस्त निहित बोनस की एकमुश्त रकम बीमार्थी की मृत्यु पर तत्काल देय है।
2. वार्षिक किश्त ''परिवार आय लाभ'' बीमाधन का 10% जो बीमार्थी की मृत्यु के पश्चात पॉलिसी वर्षगांठ से नामित बच्चे की 18 वर्ष की आयु निकटतम तिथि तक देय है।
3. चार वार्षिक किश्तें ''शिक्षा लाभ'' दर बीमाधन का 20%, 25%, 25% तथा 30% क्रमशः अन्तिम चार पॉलिसी वर्षगांठ के अंत में देय हैं।

योजना के अन्तर्गत कौन नामित होगा?

स्वजीवन पर बीमा धारक पॉलिसी क्रय करते समय बच्चे का नाम नामित करेगा, जिससे बीमा धारक की मृत्यु के समय उस बच्चे को भुगतान किया जा सके। नामित बच्चे की मृत्यु बीमार्थी से पूर्व होने की दशा में वह दूसरे बच्चे अथवा अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है तथा सभी पॉलिसी लाभ यथावत रहेंगे। यदि बीमार्थी चाहे तो पॉलिसी नकद मूल्य के लिए समर्पित कर सकता है।

पॉलिसी में क्या लाभ है, यदि पॉलिसी चुकता मूल्य स्थिति में है।

बीमार्थी की मृत्यु पर - चुकता बीमाधन मूल्य, निहित बोनस बीमार्थी की मृत्यु पर देय है। इसके अतिरिक्त चुकता बीमाधन मूल्य शिक्षा लाभ, जो पूर्व में भुगतान किया जा चुका है, घटाकर पॉलिसी अवधि के अंत में देय है।

पूर्णावधि तक बीमार्थी के विद्यमान रहने पर - चुकता बीमाधन मूल्य तथा निहित बोनस, शिक्षा लाभ यदि कोई पूर्व में भुगतान किया जा चुका है, घटा कर देय है।

आयकर लाभ :-

- पॉलिसी में भुगतान की गई प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत आयकर मुक्त है।
- पॉलिसी में पूर्णावधि निश्चित वार्षिक धन वापसी किश्तें तथा पूर्णावधि निश्चित वार्षिक धन वापसी किश्ते तथा मृत्यु दावा प्राप्ति, 'परिवार आय लाभ' क्रमशः बीमाधारक अथवा आश्रितों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10 डी) के अंतर्गत आयकर मुक्त है।
- भविष्य में यह लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के नियम, जो लागू होंगे, तदानुसार प्रभावी होंगे।

योजना के अंतर्गत उपलब्ध राइडर

दुर्घटना लाभ और पूर्ण रूप से एवं स्थाई अपंगता लाभ राइडर (यू.आई.एन. 127 बी004वी01)

यह राइडर लाभ पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अवधि के अंतराल में राइडर के नियम तथा अहर्त्तानुसार तथा बीमित योग्य स्थिति में बीमार्थी द्वारा कभी भी प्राप्त किया जा सकता है।

राइडर के लिए रू. 1.00/- प्रति हजार बीमाधन प्रीमियम देय है।

यदि बीमाधारक की आयु पालिसी वर्षगांठ से पूर्व, जिसमें बीमित व्यक्ति 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) पूर्ण कर रहा है एवं पालिसी चालू हालत में है- उसकी दुर्घटना में शारीरिक चोट, जो प्रत्यक्ष एवं पूर्ण रूप से वाह्य, तेज धारदार एवं दृष्टिगोचर साधन (शस्त्र) से लगने के कारण, मृत्यु दुर्घटना तिथि से 180 दिनों में हुई है एवं दुर्घटना में मृत्यु का कारण स्वतंत्र एवं प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक चोट है तो दुर्घटना राइडर के तुल्य एक अतिरिक्त धनराशि, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है, का भुगतान देय है। यदि बीमार्थी स्थायी एवं पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो राइडर बीमित धन का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्ष तक एवं शेष राइडर का 50 प्रतिशत 5 वर्ष के अंत में देय है। स्थायी अपंगता दावा निस्तारण एवं भुगतान होने पर राइडर प्रीमियम का भुगतान बंद हो जाता है एवं मूल पालिसी चालू रखने के लिये प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार करना होगा।

सम्पूर्ण एवं स्थायी अपंगता, जैसा ऊपर वर्णित है, दुर्घटना से घटित हो एवं इस प्रकार की हो कि बीमित व्यक्ति स्थाई रूप से अपंग हो जाय तथा दुर्घटना दिनांक से कोई आय, किसी कार्य, व्यवसाय अथवा पेशे (शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अनुभव को छोड़कर) से अर्जित न कर सके। अपंगता निम्नलिखित परिभाषित है-

1. अपने दोनों हाथ कलाई अथवा इससे ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा
2. दोनों पैर एडी अथवा इससे ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा
3. एक हाथ कलाई या इसके ऊपर एवं एक पैर एडी से ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा
4. दोनों आँखों की सम्पूर्ण, स्थायी एवं असाध्य दृष्टि की क्षति।

राइडर (दुघर्टना/स्थायी अपंगता लाभ) के अपवाद : कंपनी उपरोक्त (1) (2) (3) (4) में संदर्भित अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार नहीं होगी, यदि बीमित व्यक्ति की अपंगता अथवा मृत्यु-

- जान-बूझकर अपने को चोट पहुँचाने, आत्म-हत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अनैतिक आचरण के कारण, मादक द्रव्य पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तु के सेवन करने से हो, अथवा
- ऐसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो, जबकि बीमित व्यक्ति उड़डयन अथवा वैज्ञानिकी में किसी भी पद पर कार्यरत हो, न कि, जब कि वह किराया देकर ऐसे यात्रियों को ले जाने के लिये, सम्बन्धित अधिनियमों द्वारा अधिकृत स्थापित हवाई अड्डों के बीच उड़ान भरने वाले किसी हवाई जहाज में यात्रा करता हो तथा हवाई जहाज के उड़ने व उससे उतरते समय बीमित व्यक्ति की कोई ड्यूटी (कार्यभार) न हो, अथवा ,
- बीमित व्यक्ति द्वारा किसी कानून भंग करने के फलस्वरूप हो, अथवा,
- जोखिमी खेल-क्रीड़ा, आखेट, जूडो-कराटे, पर्वतारोहण, जेट-स्काईंग, पॉट-होलिंग, घुड-दौड़, गोताखोरी, नाव-दौड़, लंबी छलांग, बाक्सिंग, केविंग अथवा किसी भी प्रकार की भाग-दौड़ के फलस्वरूप चोट लगने के कारण हो, अथवा
- दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), आक्रमण अथवा
- अन्य अर्न्तसंदर्भित शर्त (नियम)

उपरोक्त राइडर का विवरण राइडर योजना के विक्रय साहित्य में उपलबध है।

लाभ उदाहरण -

बीमाधन	रु. 1,00,000	प्रवेश के समय बीमार्थी की आयु	35 वर्ष
बच्चें की प्रवेश के समय आयु	7 वर्ष	अवधि	15 वर्ष
भुगतान विधि	वार्षिक	किश्त	रु. 8069/-

वर्ष	कुल प्रीमियम देय	मृत्यु लाभ				पूर्णावधि लाभ		गारंटीड शिक्षा लाभ
		गारन्टीड				नॉन-गारन्टीड		
		बीमाधन	पारिवारिक आय लाभ	पर 6%	पर 10%	पर 6%	पर 10%	
1	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	1500	5000	0	0	0
2	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	3000	10000	0	0	0
3	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	4500	15000	0	0	0
4	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	6000	20000	0	0	0
5	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	7500	25000	0	0	0
6	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	9000	30000	0	0	0
7	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	10500	35000	0	0	0
8	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	12000	40000	0	0	0
9	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	13500	45000	0	0	0
10	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	15000	50000	0	0	0
11	8069	100000	मृत्यु के पश्चात बीमाधन का 10% प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ (अवधि-4) पॉलिसी वर्षगांठ	16500	55000	0	0	0
12	8069	100000	0	18000	60000	0	0	20000
13	8069	100000	0	19500	65000	0	0	25000
14	8069	100000	0	21000	70000	0	0	25000
15	8069	100000	0	22500	75000	22500	75000	30000

अपवाद

आत्म-हत्या उपबन्ध :

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि को या उसके बाद किन्तु इस पालिसी की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है (चाहे मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में या तत्समय अस्वस्थ अवस्था में) तो यह पालिसी रद्द हो जायेगी और कंपनी इस पालिसी के अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगी।

फ्री लुक अवधि-

बीमार्थी को यह विकल्प प्राप्त है कि पालिसी बाण्ड के प्राप्त तिथि से 15 दिन के अन्दर यदि वह पालिसी की शर्तों तथा अहर्ताओं में कोई परिवर्तन अवलोकन करता है अथवा गलत पाता है तो अस्वीकार/असहमति के कारणों का वर्णन करते हुए पालिसी बाण्ड वापस कर सकता है। इस स्थिति में बीमार्थी प्रीमियम राशि में से, निरस्तीकरण तिथि पर, अनुपातिक जोखिम वहन प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क में जो व्यय हुए हैं, उनको घटाकर, प्रीमियम वापस पाने का अधिकारी है।

वैधानिक चेतावनी :

कुछ लाभ गारण्टीड हैं एवं कुछ लाभ वापसी कंपनी के भविष्य के कार्य सम्पादन पर निर्भर करते हैं। यदि आपकी पालिसी गारण्टीड लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में स्पष्ट रूप से गारण्टीड दर्शाया जायेगा। यदि आपकी पालिसी बिना गारंटी के लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में कंपनी के अनुमानित भविष्य निवेश पर दो भिन्न ब्याजदर पर गणना करके दिखायेगी। बीमाधारक को प्राप्त होने वाला यह अनुमानित लाभ वापसी गारण्टीड नहीं है। पालिसी में लाभ वापसी अनेक कारणों पर निर्भर करती है। यह बीमा करने वाले (Insurer) की निपुणता एवं दक्षता पर निर्भर करता है कि वे कोष को किस प्रकार निवेश करते हैं जिससे अधिकतम लाभ हो। अतः लाभ वापसी की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

वैधानिक-चेतावनी

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की **धारा 41** में जो विवरण है उसका उद्धरण बीमा उत्पाद के प्रत्येक प्रस्ताव में होना आवश्यक है- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति को नई पालिसी लेने, नवीनीकरण करने अथवा चलाने, जिसमें किसी भी प्रकार भारत में जीवन अथवा सम्पत्ति के जोखिम का सम्बन्ध है, कोई प्रलोभन, पालिसी की प्रीमियम में छूट अथवा देय कमीशन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रदान नहीं करेगा एवं न ही कोई व्यक्ति इस छूट, प्रलोभन को स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी छूट जो बीमा कर्ता के प्रकाशित विवरण पुस्तिका एवं तालिका में वर्णित है।
यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उपधारा (1) का उलंघन करता है, वह आर्थिक दण्ड का उत्तरदायी होगा एवं आर्थिक दण्ड रू0 500 तक हो सकता है।

इन्श्योरेन्स एक्ट, 1938 की धारा 45 का संक्षिप्त विवरण:

कोई भी जीवन बीमा पालिसी उसकी आरम्भ की तिथि से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा उस समय तक इस आधार पर निरस्त नहीं की जायेगी कि बीमा के लिये दिये प्रस्ताव-पत्र में दिया गया विवरण या किसी डाक्टरी जाँच की रिपोर्ट में या किसी संदर्भी या पालिसीधारक के मित्र द्वारा पालिसी जारी करने हेतु दिये किसी प्रलेख में कुछ भी गलत या झूठ कहा गया है, जब तक बीमाकर्ता यह न सिद्ध कर दे कि विवरण एक महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित था या उसने तथ्यों को छुपाया जिसे बताना आवश्यक था और उस समय बीमाधारक को यह पता था कि दिया गया विवरण झूठा या उसने तथ्यों को छुपाया जिन्हें बताना आवश्यक था।

सम्पर्क पते एवं दूरभाष संख्या-
हमारा निःशुल्क टाल नं.-1800-180-9000 (भा.सं.नि.लि./म.टे.नि.लि.)
लोकल कारपोरट कार्यालय के नाम तथा उनके दूरभाष संख्या निम्नलिखित हैं-

आगरा - 9411876485, अहमदाबाद - 9998020301, अजमेर - 9829018573, इलाहाबाद - 9839750651, बहराइच - 9415054425, बलिया - 9936571895, बैंगलूरु - 9845234738, बस्ती - 8004915905, बरेली - 9336857557, बडौदा - 9998020310, बोकारो - 9386896841, भोपाल - 9302115594, भागलपुर - 9386741020 भुवनेश्वर - 9861048534, चंडीगढ - 9216870573, चेन्नई - 9940098809, देहरादून - 9368228050, दिल्ली - 9811571988, दरभंगा - 9386835733, देवरिया - 9415213748, फैज़ाबाद - 9935169130, फरीदाबाद - 9899805972, गोरखपुर - 9336410556, गुवाहाटी - 9435549347, हज़ारीबाग - 9431102765, हावड़ा - 9903116913, हैदराबाद - 9885279596, इंदौर - 9302780283, जबलपुर - 9303327343, जयपुर - 9414079454, जमशेदपुर - 9431133892, जोधपुर - 9829687827, कानपुर - 9415075151, खलीलाबाद - 9984499333, कोलकाता - 9007087253, कोटा - 9460981763, लखनऊ - 9335226465, लुधियाना - 9988373652, मुम्बई - 9324702769, मुज़फ्फरपुर - 9431238376, नालन्दा - 9431023510, पटना - 9334112902, रायपुर - 9893650799, राँची - 9955328893, सिलीगुड़ी - 9233472893, सिवान - 9334417334, समस्तीपुर - 9430586304, सुल्तानपुर - 9839666777, उदयपुर - 9828142452, वाराणसी - 9838128327, विशाखापट्टनम - 9848565786 ।

बीमा आग्रह की विषय-वस्तु है

नोट- किसी भी वैधानिक अथवा अन्य विवाद में अंग्रेजी पैम्फलेट की भाषा ही मान्य होगी।

Saharalife/2012-13/05

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : सहारा इंडिया सेंटर, 2, कपूरथला कॉम्प्लेक्स,
लखनऊ-226 024. फोन : 0522-2337777, फैक्स : 0522-2332683
वेबसाईट : www.saharalife.com

10-12

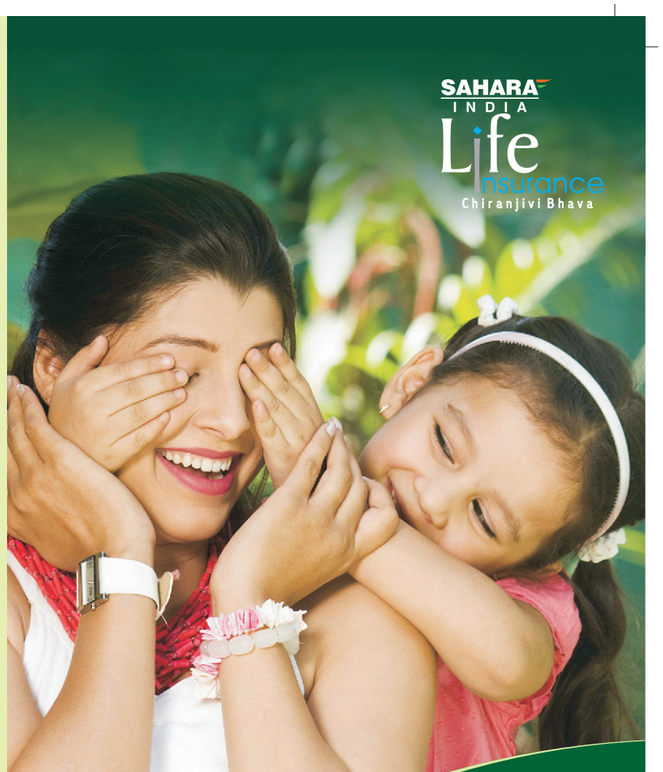

सहारा वात्सल्य-जीवन बीमा

बंदोबस्ती बीमा लाभ सहित

UIN-127N025V01

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

IRDA Registration No. : 127